प्रेस विज्ञप्ति

1/08/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई में विभिन्न स्थानों पर स्थित 104.43 करोड़ रुपये मूल्य की 03 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है; ये संपत्तियां प्रवीण रामप्रताप तायल और अन्य के स्वामित्व में हैं। कुर्क की गई संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 148 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

ईडी ने सीबीआई द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित 13(1) (डी) के तहत कृष्णा निटवियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एस्के निट इंडिया लिमिटेड, प्रवीण रामप्रताप तायल, नवीन रामप्रताप तायल, सौरभ प्रवीण तायल और अन्य के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी व्यक्ति और संस्थाएं आदतन अपराधी हैं और उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में कई एफआईआर/आरोपपत्र दायर किए गए हैं।

धोखाधड़ी करने के लिए उपर्युक्त व्यक्तियों और संस्थाओं की कार्यप्रणाली में अन्य बातों के साथ-साथ ऋण राशि का दुरुपयोग, बैंकों से बिक्री आय को छिपाना, फर्जी/अस्तित्वहीन कंपनियों को विविध देनदारों के रूप में प्रस्तुत करना, अनेक फर्जी कंपनियों के माध्यम से संपत्तियां रखना शामिल था।

मामले में धोखाधड़ी की कुल राशि 340 करोड़ रुपये से अधिक है और वर्तमान अनंतिम कुर्की आदेश में, अपराध की आंशिक आय (पीओसी) कुर्क की गई है। शेष पीओसी का पता लगाने, उसे बरामद करने और कुर्क करने के लिए आगे की जाँच जारी है।